

.04.2023

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला। (E-mail: <u>forestsecy-hp@nic.in</u>)

विषयः Diversion of 7.2834 ha of Forest land for rehabilitation and upgradation to four land configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms. 51.00 to 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State Of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Davison in Distt. Kangra & Chamba, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Road/152261/2021).

सन्दर्भः Online Proposal No. FP/HP/Road/152261/2021 uploaded by State Government on dated 29.03.2023

महोदया / महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी–सह–अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए), हि0प्र0 के पत्र दिनांक 14.10.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय—समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/ दस्तावेज मंगवाये जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 16.03.2023 को हुई बैठक में संस्तुति के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 7.2834 ha of Forest land for rehabilitation and upgradation to four land configuration & Strengthening of Sihuni to Rajol from Kms. 51.00 to 72.00 (Package IIA) (Design Length 18.450 Kms) of NH-20 (New NH-154) of Pathankot-Mandi section in the State Of Himachal Pradesh within the jurisdiction of Nurpur, Dharamshala & Dalhousie Forest Davison in Distt. Kangra & Chamba, Himachal Pradesh हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:—

- 1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- 3. प्रतिपूरक वनीकरणः
 - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.17 हे0 वन क्षेत्र Block/Compartment/Survey No. UP-26, K-Nerti C7C, Shahpur Forest Range, Dharamshala Forest Division, Distt. Kangra, H.P. तथा 11 हे0 वन क्षेत्र Block/Compartment/Survey No. U-84 Dole, C-10, 52D/3, Bhali Block, Kotla Forest Range, Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P. में प्रतीपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
 - (ख) प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

FC/HPC/06/155/2022

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.):

- 1/40503/202(क्र) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30. 10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 एवं 5–3/2011–FC(Vol.-I), दिनांक 06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **7.2834** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
 - (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
 - 5. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के WP(c) No. 202/1995 के अंर्तेगत दिनांक 08.02. 2023 को जारी आदेशों की अनुपालना भी सुनिश्चित करेगी।
 - 6. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.
 - 7. Since the proposed project is located in hilly/slopy area and the proposed area is prone to Soil erosion/landslide, therefore as per the recent directions of MoEF & CC vide letter dated 07 June, 2022, Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect may also be submitted.
 - State Government shall comply with the Orders of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued on dated 13.01.2023 CWPIL NO 13/2021 title as Kusum Bali Vs States and others. Accordingly, NOC from PCB shall be submitted before Stage-II approval.
 - 9. State Government shall ensure that "No extra forest land" shall be proposed in future for dumping of muck preduced in this project.
 - 10. State Govt shall submit the plantation model mentioning the site specific plant species which have capacity of the absorptions of CO2 and other pollutants along the RoW as per Guidelines of MoEF & CC vide letter no.FC-11/39/2020-FC dated 08.09.2021 before stage-II approval.
 - 11. The State Government shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuance of order for diversion at their level.
 - 12. प्रयोक्ता अभिकरण, आईआरसी मानदंडों के अनुसार यथासम्भव, सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 - 13. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 - 14. User agency shall restrict the felling of trees to maximum **2444 Trees** (Dharamshala=784 trees, Nurpur= 1645 trees and Dalhousie=15 trees) in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. However, the possibility to reduce the number of tree (*Emblica spp., Terminalia spp., Bauhinia spp., Acacia spp., Cordia spp and Ficus spp etc.*) must be explored and the State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer Incharge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW of road after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within a period of two (2) months after execution of the project. The undertaking for the same duly authenticated by the concerned DFO may be provided.
 - 15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 - 16. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।

FC/HPC/06/155/2022

17. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से

- I/40503/2023 क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।
 - 18. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
 - 19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 - 20. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 - 21. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 - 22. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा, जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
 - 23. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 - 24. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 - 25. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
 - 26. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
 - 27. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित अधिकतर मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
 - 28. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
 - 29. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
 - 30. सम्पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय, -/-**(सत्य प्रकाश नेगी)** क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली (E-mail: <u>adgfc-mef@nic.in</u>).
- वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जो़रबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 (E-mail: <u>rohq-mefcc@gov.in</u>).
- नोडल अधिकारी—सह—अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: <u>nodalfcahp@yahoo.com</u>).
- 4. आदेश पत्रावली।